94

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अ धि सू च ना

सं०–स्था०–02–13 / 1986   पटना, दिनांक........ ......

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–**
   (i) यह नियमावली 'बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली–2016 के नियम–4 एवं नियम–12 का संशोधन।– उक्त नियमावली के भाग–1, नियम–4 में विहित पद सोपान के क्रमांक–5 पर अवस्थित "अपर ईखायुक्त" के पद तथा नियम–12 में प्रयुक्त शब्द "अपर ईखायुक्त" को विलोपित किया जाता है तथा शेष पद सोपान एवं प्रावधान यथा विहित रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– स्था०–02–13 / 1986   / पटना, दिनांक   2018

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– स्था०–02–13 / 1986   / पटना, दिनांक   2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– स्था०–02–13 / 1986   / पटना, दिनांक   2018

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3590 दिनांक–24.05.2017 की अनुसूची–3 नम्बर 5.2 की कंडिका–31 में दिये गये निदेश के आलोक में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप सख्या– स्था०–02–13 / 1986 /पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि– वित्त (वैधानिक दावा कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या– स्था०–02–13 / 1986 [illegible] /पटना, दिनांक 02.11. 2018

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मा० मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव